# हापुड़ पुलिस

## प्रेस नोट

**थाना - बाबूगढ़ दिनांक 15.12.2024**

- **थाना बाबूगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अल्प समय में पत्नी का गला रेतकर हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को किया गिरफ्तार।**
- **जिसके कब्जे/निशानदेही पर आलाकत्ल लोहे का दांव (जिसपर मृतका के सिर के बाल उलझे हैं) बरामद।**

**कार्यवाहीः-**

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.12.2024 को थाने के मु0अ0सं0 359/24 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित हत्यारोपी पति को ग्राम मुक्तेश्वरा से माधापुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे/निशानदेही पर आलाकत्ल लोहे का दांव बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः-**

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पत्नी लगभग 15 दिन पहले मुझे बिना बताये अपनी बहन के घर पर गयी थी जो मुझे पसन्द नहीं था तथा 3-4 दिन पहले भी वह पुनः बिना बताये अपनी बहन के घर चली गयी थी। इसी बात को लेकर दिनांक 14.12.2024 को सुबह के समय हम दोनों पति पत्नी के मध्य विवाद/झगड़ा हुआ था इसी दौरान आवेश में आकर मैंने घर पर रखे लोहे के दांव से अपनी पत्नी की गर्दन पर वारकर उसकी हत्या कर दी थी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

रमेश पुत्र जयकरण निवासी ग्राम मुक्तेश्वरा थाना बाबूगढ जनपद हापुड।

**बरामदगी का विवरणः-**

1. आलाकत्ल लोहे का दांव। (जिसपर मृतका के सिर के बाल उलझे हैं)
2. अभियुक्त की रक्त रंजित शर्ट।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. थानाध्यक्ष श्री विजय कुमार गुप्ता थाना बाबूगढ हापुड।
2. उ0नि0 श्री वरुण कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
3. म0उ0नि0 सात्वना थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
4. का0 167 विवेक भाटी थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
5. का0 959 अजीत कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड।